

कार्यालय आदेश संख्या-44/18

वमवाप्र/वाराणसी के एनआईपी/पत्र संख्या-वा/442/अना.अनु/रमेशचन्द/छपरा दिनांक-27.03.18 द्वारा श्री रामेशचन्द पुत्र श्री रामध्यान राम, उपमुटिनी, छपरा को दिनांक-27.03.18 से रेल सेवा से अनिवार्य सेवानिवृत्त किये जाने का दण्ड अधिरोपित किया गया है, के अनुपालन स्वरुप श्री रामेशचन्द पुत्र श्री रामध्यान राम, उपमुटिनी, छपरा को दिनांक-27.03.18 से रेल सेवा से सेवानिवृत्त किया जाता है।

कृते मंडल रेल प्रबन्धक(का.)


वाराणसी

दिनांक-04.04.18

संख्या-का/वा/पीसी/ रमेशचन्द/2018

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. वमवाप्र/वारा
2. वमविप्र/वाराणसी
3. कार्यालय आदेश पुस्तिका
4. कार्याधी यातायात बिल/एमपीपी
5. स्टेडी/मुवानि छपरा
6. मुख्य कार्याधी/समापक
7. सम्बन्धि बिट निरीक्षक
8. संबन्धित कर्मचारी
9. मंडल मंत्री नरमू अजा जजजा एसों. वाराणसी
10. अन्य प्रति


कृते मंडल रेल प्रबन्धक(का.)
वाराणसी